

## भारत सरकार, खान मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF MINES भारतीय खान ब्यूरो , क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय- रायपुर INDIAN BUREAU OF MINES, OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES, RAIPUR

फोन- 2282530–0771 2285590/ / 95, ईमेल - <u>ro.raipur@ibm.gov.in</u>

File no- CHG/SRG/Bx-07CHG16011

दिनाक -05.01.2022

प्रेषिति- Shri Jay Prakash Maurya

M/s CMDC

Sector-4, Third Floor, Block No. 7A,

Atal Nagar, Nava Raipur

Chhattisgarhemail- cmdcraipurcom.gmail@

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के सुर्गुजा जिले में स्थित आपकी केस्नरा बौक्सिते खदान ( 20.340 ha). में खनिज सरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध मे-

महोदय

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 21.12.2021 को श्री A.P.Shah, DGM की उपस्तिथि मे किया गया तथा खान के निरीक्षण मे पाया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

उपबंधी का उल्लंघन किया है।	
नियम	उल्लंघन के प्रकार का ब्यौरा
11(1)	Following violations are observed against proposals in approved Review of Mining Plan for the period from 2018-19 to 2021 approved vide letter no. Surguja/Bx/MPNL-1173/2018/Raipur dated 27.11.2018  (i) Against proposal to carry out 06 nos of trial pitting, no work has been carried out.  (ii) Three quarries have been developed on south western side( between 2521148N & 2521548N) and one quarry on north western side( between 2521748N & 2521948N) against proposal of single quarry development on southern side.(between 2521148N & 2521548N)  (iii) Against proposal of waste dump development on north eastern side (between N400& N 800), waste have been dumped on quarry edges.  (iv) Mining operations have been carried out in 7.5 m safety barrier zone in southern side at two places between boundary pillar BP1 and BP 29 and at one place between boundary pillar BP1 and BP3.
	(v) Against backfilling proposal of 0.903 ha no backfilling has been carried out.
26 (2)	A yearly report as per the format specified by Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitate works carried out has not been submitted for the year 2020-21.
45(5)	Following information are furnished incorrectly in submitted Annual Return for the year
(c)	2020-2021:
	(i) Surface area utilization.
	(ii) Mineral reserves
	(iii) Ex-mine price and cost of production is cited as same price of Rs 885
	(iv) Production proposal during the year 2020-21 is not furnished.

<sup>2</sup> इस संदर्भ मे आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंड्नीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) )एवं 45(7) के अंतर्गत।

<sup>(</sup>क) नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने परयाप्ररूप में बर्सिकबिबरनी में अपूर्ण/गलत/मिथ्या सूचना देने पर 10,000/ रुपये प्रति दिन नियत तारीख के पश्चात उलंघन में सुधार तक भुगतान देना पड़ेगा ।

- (ख) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
- (ग) आपके विरूद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
- (घ) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 3. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों 11(1) एवं 26 (2) का अतिषीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

4.अतःआपको यह निर्देष दिया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों 45(5)(c) का अतिषीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 30 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

देबदुर्लभ दाश) वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी भारतीय खान ब्यूरो, रायप्र

प्रतिलिपि- सुचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , इंदिरा भवन, सिविल लाईन, नागपुर 440001 - Email-com.cz@ibm.gov.in

(देबदुर्लभ दाश) वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी भारतीय खान ब्यूरो, रायप्र